न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 143/2025
जीसीएमएस नं. 2025/202
प्रार्थी/निगरानीकारः–
मोहन सिंह पुत्र स्व. अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–
1. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत झंवर।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगियासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 24 मिसल सं. 55/2021–22 दिनांक 06.10.2021 को ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी सं. 144/2025
जीसीएमएस नं. 2025/201
प्रार्थी/निगरानीकारः–
मोहन सिंह पुत्र स्व. अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–
1. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत झंवर।
2. अमर सिंह पुत्र नैन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगियासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 22 मिसल सं. 53/2021–22 दिनांक 06.10.2021 को ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी सं. 145/2025
जीसीएमएस नं. 2025/200
प्रार्थी/निगरानीकारः–
मोहन सिंह पुत्र स्व. अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत झंवर।
2. नैन सिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगियासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 21 मिसल सं. 52/2021–22 दिनांक 06.10.2021 को ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी सं. 146/2025

जीसीएमएस नं. 2025/199

प्रार्थी/निगरानीकारः–

मोहन सिंह पुत्र स्व. अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत झंवर।
2. भीम सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगियासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 23 मिसल सं. 54/2021–22 दिनांक 06.10.2021 को ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राठौड (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री करण सिंह (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री अनिल राठी (अप्रार्थी सं. 02 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 15.05.2026**

1. उक्त विवरण की चारों निगरानियां राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी आक्षेपित पट्टों को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 11.03.2022 को पेश की गई है, जिसमें समान तथ्य एवं समान विधिक प्रश्न अंतर्वलित होने से, न्यायिक प्रकिया एवं सुविधा की दृष्टि से, उभयपक्षों की सहमति से इन चारों निगरानियों का विनिश्चय एक ही समान निर्णय से निर्णित किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है। निर्णय की प्रति, प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है:–

i) **निगरानी सं. 143/2025 (2025/202)**:–यह निगरानी मिसल सं. 55 दायर दिनांक 20.08.2021, पट्टा बुक सं. 84 में से संकल्प सं. 01 दिनांक 05.10.2021 की अनुपालना में जारी पट्टा सं. 24 दिनांक 06.10.2021, बनाप 135.66 वर्गगज बहक लक्ष्मण सिंह पुत्र कान सिंह के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु दिनांक 11.03.2022 को पेश की गई है।

ii) **निगरानी सं. 144/2025 (2025/201)**:–यह निगरानी मिसल सं. 53 दायर दिनांक 20.08.2021, पट्टा बुक सं. 84 में से संकल्प सं. 01 दिनांक 05.10.2021 की अनुपालना में जारी पट्टा सं. 22 दिनांक 06.10.2021, बनाप 132 वर्गगज बहक अमर सिंह पुत्र नेन सिंह के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु दिनांक 11.03.2022 को पेश की गई है।

iii) **निगरानी सं. 145/2025 (2025/200)**:–यह निगरानी मिसल सं. 52 दायर दिनांक 20.08.2021, पट्टा बुक सं. 84 में से संकल्प सं. 01 दिनांक 05.10.2021 की अनुपालना में जारी पट्टा सं. 21 दिनांक 06.10.2021, बनाप 135.66 वर्गगज बहक नेन सिंह पुत्र जोर सिंह के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु दिनांक 11.03.2022 को पेश की गई है।

iv) **निगरानी सं. 146/2025 (2025/199)**:–यह निगरानी मिसल सं. 54 दायर दिनांक 20.08.2021, पट्टा बुक सं. 84 में से संकल्प सं. 01 दिनांक 05.10.2021 की अनुपालना में जारी पट्टा सं. 23 दिनांक 06.10.2021, बनाप 141.16666 वर्गगज बहक भीम सिंह पुत्र कान सिंह के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु दिनांक 11.03.2022 को पेश की गई है।

3. उक्त चारों निगरानियों दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से मोती सिंह व अन्य तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री अनिल राठी ने पूर्व अधिवक्ता श्री सुरेश जोशी द्वारा अनापत्ति लिखित में दिये जाने पर दिनांक 20.04.2026 को वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी उक्त आक्षेपित पट्टों से संबंधित मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।

4. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरणों के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार ने निगरानी पेश कर कथन किया है कि विवादग्रस्त भूखण्ड पूर्व में श्री जोधाराम पुत्र गोरधनराम जाति पटेल निवासी झंवर के कब्जे का आबादी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भूखण्ड था, जोधाराम को वर्ष 1982 में घरेलू आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर उपरोक्त भूखण्ड को जरिये लिखित बेचान कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया। तब से प्रार्थी निरंतर तौर पर काबिज है। उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी के रहवासीय मकान के समीप स्थित है। प्रार्थी द्वारा पत्थर की पट्टिया रोप कर चारों तरफ तारबंदी की गई, जो आज दिन तक कायम है। चूंकि गांव बाद में विकसित होने के कारण भावों में वृद्धि हो जाने के कारण अप्रार्थी, जो जोगियासनी के मूल निवासी है तथा आज दिन भी गांव जोगियासनी में ही रहते है। उन्होने अप्रेल 2021 में प्रार्थी के उपरोक्त भूखण्ड पर फर्जी एवं कूटरचित पट्टा बताते हुए भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश की। प्रार्थी द्वारा एक निगरानी सं. 24/2021 मोहन सिंह बनाम ग्राम पंचायत के नाम से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की, जो पक्षकारान को सुनवाई करते हुए आदेश हेतु नियत कर रखी है। इसी दौरान अप्रार्थी द्वारा अनेकों बार प्रार्थी के भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश करने पर प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना झंवर में शिकायत दर्ज करवाई। अप्रार्थी के द्वारा फर्जी पट्टे के अलावा ग्राम पचांयत से फर्जी पट्टे के स्थान पर नया पट्टा बनवाने की धमकी देने पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष एवं जिला परिषद, जोधपुर एवं श्रीमान जिला कलक्टर, जोधपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की परंतु हाल ही में दिनांक 09.03.2022 को अप्रार्थीगण अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौके पर आये तथा प्रार्थी को उन्होने पट्टे की फोटोप्रति देते हुए कहा कि यह पट्टा बना दिया है, अब उपरोक्त भूखण्ड पर कब्जा करेंगें। पट्टा ग्राम पंचायत से सांठ गांठ से मात्र प्रार्थी के भूखण्ड को हडपने की नियत से पूर्णतः गलत, विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूखण्ड आज दिन तक मौके पर खाली है एवं प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज है। निगरानीधीन पट्टे जारी करने में पंचायत राज अधिनियम के नियमों एवं आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना जारी किया जाने से निरस्त योग्य होने से निरस्त किये जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस चारों निगरानियों पर सुनी गई।
6. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड पूर्व में श्री जोधाराम पुत्र गोरधनराम जाति पटेल निवासी झंवर के कब्जे का आबादी भूखण्ड था, जोधाराम को वर्ष 1982 में घरेलू आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर उपरोक्त भूखण्ड को जरिये लिखित बेचान कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया। तब से प्रार्थी निरंतर तौर पर काबिज है। उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी के रहवासीय मकान के समीप स्थित है। प्रार्थी द्वारा पत्थर की पट्टिया रोप कर चारों तरफ तारबंदी की गई, जो आज दिन तक कायम है। प्रार्थी के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त भूखण्ड पर ग्राम पंचायत झंवर ने चारों निगरानीधीन पट्टे दिनांक 06.10.2021 को जारी किये गये है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत निगरानी सं. 24/2021 में हुए निर्णय दिनांक 23.05.2022 की प्रति पेश है, उक्त पंचायत निगरानी में चारो पट्टाधारक एवं परिवार वाले प्रत्यर्थीगण थे तथा ग्राम पंचायत झंवर भी प्रत्यर्थी थी। उक्त निगरानी सं. 24/2021 पट्टा सं. 50, मिसल सं. 14/1960–61 के विरूद्ध पेश की गई थी। उक्त निगरानी दिनांक 24.06.2021 को पेश की थी, जो दिनांक 07.07.2021 को आपके न्यायालय में दर्ज किया गया। दिनांक 16.08.2021 को वकालतनामा पेश किये गये। उक्त निगरानी के विचाराधीन रहते हुए प्रत्यर्थी ग्राम पंचायत एवं अन्य प्रत्यर्थीगण ने मिलकर उसी भूखण्डों पर वर्तमान निगरानीधीन चारों पट्टे जारी कर दिये। जैर निगरानी से पूर्व ग्राम पंचायत झंवर ने पट्टे जारी कर दिये। प्रार्थी की ओर से जैर निगरानी के दौरान उक्त विवादित भूखण्ड पर पट्टे जारी नहीं करने बाबत जिला कलक्टर, जोधपुर, जिला परिषद, जोधपुर एवं ग्राम पंचायत झंवर को प्रार्थना पत्र पेश किये गये। ग्राम पंचायत, झंवर ने उक्त प्रार्थना पत्रों को भी नजर अंदाज किया जबकि ग्राम विकास अधिकारी/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत झंवर ने उक्त प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद दी है, जो रिकॉर्ड के रूप में फॉर्म 3 के साथ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

पट्टा धारक ग्राम पंचायत झंवर के निवासी नहीं रहे है वक्त सेटलमेंट संवत् 2011 की मिसल बंदोबस्त, जमाबंदियों से प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण ग्राम जोगियासनी, पटवार हल्का, लूणावास खारा के स्थाई निवासी है। अप्रार्थीगण मतदाता निर्वाचन सूची सन् 1958 से वर्तमान तक ग्राम जोगियासनी, ग्राम पंचायत लूणावास खारा (पूर्व खुडाला) के निवासी रहे है। ग्राम झंवर से इनका कोई लेना देना नहीं है। फार्म 3 के साथ ग्राम पंचायत खुडाला का प्रस्ताव 1 दिनांक 12.12.1982 की प्रतिलिपि पेश है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत खुडाला के अधीन आबादी भूमि पर पट्टे दिये जाने प्रस्तावित किये। ग्राम जोगियासनी, ग्राम पंचायत झंवर के अधीन/उसका भाग नहीं रहा है जबकि पट्टाधारक जोगियासनी के स्थायी निवासी है। राशनकार्ड की प्रतियां पेश है।

चारों पट्टाधारकों की पट्टा मिसलों में इनके झंवर के निवासी होने का कोई प्रमाण संलग्न नहीं है। उक्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत झंवर से इस न्यायालय में पेश किया गया है। पूर्व में जारी पट्टा सं. 50 जिनके नाम जारी था, उनको निगरानी विचाराधीन रहते हुए नये वर्तमान निगरानीधीन चार अलग–अलग पट्टे जारी किये गये है। अप्रार्थीगण पट्टाधारकों का मौके पर कब्जा नहीं है। भूखण्ड खाली है। फोटोग्राफ्स

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पेश है। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) अंतर्गत खाली भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं किये जा सकते। पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की अवहेलना की है तथा निगरानी विचाराधीन होने के दौरान पट्टे जारी करना न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है। पट्टे पर पट्टे जारी करना पूर्णतः विधि विरूद्ध है। नोटिस जारी किये जाने एवं सार्वजनिक आपत्तियां प्राप्त किये जाने की भी पालना नहीं की गई है। लिखित बहस मय अन्य सुसंगत दस्तावेज पेश है। उपरोक्त चारों निगरानीधीन पट्टे खारिज किये जावे तथा चारों निगरानियों को स्वीकार फरमाया जावे साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा अविधिक कार्य करने के कारण ग्राम पंचायत के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जावे।

निगरानीकार अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगणों का भूखण्डों पर कब्जा नहीं है, खाली है, जिसके फोटोग्राफ्स पेश किये है, जो नियम विरूद्ध है। सार्वजनिक आक्षेप पेश करने हेतु दिनांक 05.09.2021 को प्रपत्र 22 (नियम 148) में नोटिस जारी किया है, परंतु यह नोटिस किस व्यक्ति द्वारा किस तारीख को किन–किन मौतबिरान के समक्ष विवादित संपति पर चस्पा किया गया है, इसका अंकन पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस की परत पर अंकित नहीं है। सार्वजनिक नोटिस विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं होने से, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा आपत्तियों की सुनवाई की जाकर विधिवत निपटारा ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। यह आज्ञात्मक प्रावधान है। अतः पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की पालना नहीं की गई है।

7. अप्रार्थी सं. 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री करण सिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत झंवर द्वारा संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टे जारी किये गये है तथा प्रार्थी के आवेदन अनुसार ही जारी किये गये, जिसमें पंचायत बैठक रजिस्टर, मिसल भी कायम की गई व संपूर्ण प्रक्रिया द्वारा विधिवत रूप से निगरानीधीन चारों पट्टे जारी किये गये है।

8. अप्रार्थी सं. 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि उपरोक्त चारों निगरानियों में निगरानीधीन पट्टों के संबंध में मूल अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है, यदि निगरानीधीन चारों पट्टे विधि विरूद्ध जारी किये गये है, तो निगरानियों के आधार में बिंदु सं. 01 व 02 को निगरानीकार सिद्ध करे। पत्रावलियों पर अभिलेख उपलब्ध है तथा पट्टा जारी करने के लिए पंचायती राज नियम 1996 की प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया गया है। पंचायत की बैठक, प्रस्ताव, पंचों की कमेटी, आपत्ति बाबत नोटिस जारी करना, पंचायत की बैठक में निर्णय पश्चात्

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्धारित राशि जमा की गई है। निगरानी के बिंदु सं. 3, 4 व 5 में निगरानीकर्ता कहता है कि उक्त पट्टे उसके भूखण्ड पर जारी किये गये है, जिसका कोई आधार, सबूत पेश नहीं किया। रसीद के आधार पर भूखण्डों का मालिक बताया है जबकि रसीद पेश नहीं की। अतः चारो निगरानियां विशेष हर्जा–खर्चा के खारिज फरमाई जावे।

9. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत झंवर से निगरानीधीन चारों पट्टों से संबंधित प्राप्त मूल अभिलेख का अध्ययन कर, अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर गहनता से मनन किया।

10. निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रार्थी ने विवादग्रस्त भूखण्ड पूर्व में श्री जोधाराम पुत्र गोरधनराम जाति पटेल निवासी झंवर के कब्जे का आबादी भूखण्ड था, जोधाराम को वर्ष 1982 में घरेलू आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर उपरोक्त भूखण्ड को जरिये लिखित बेचान कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया। तब से प्रार्थी निरंतर तौर पर काबिज है। उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी के रहवासीय मकान के समीप स्थित है। प्रार्थी द्वारा पत्थर की पट्टिया रोप कर चारों तरफ तारबंदी की गई, जो आज दिन तक कायम है, पर अप्रार्थीगण ने ग्राम पचांयत से मिलीभगत कर उक्त चारों निगरानीधीन पट्टे जारी करवा लिये है, जिससे व्यथित होकर उक्त आक्षेपित पट्टों को अपास्त करने हेतु यह निगरानियां प्रस्तुत की गई है।

11. निगरानीकार तथ्य इस प्रकार पाए गए–

A. **<u>निगरानी सं. 143/2025 (2025/202) (लक्ष्मण सिंह–पट्टा धारक)</u>**–लक्ष्मण सिंह पुत्र कान सिंह द्वारा स्वयं को ग्राम झंवर का निवासी बताते हुए 1221 वर्गफुट भूमि को पुश्तैनी कब्जासुद होना बताकर, पट्टा जारी करने का आवेदन ग्राम पंचायत झंवर में दिनांक 10.08.2021 को पेश करने पर, मिसल सं. 55/2021–22 जो पट्टे पर अंकित दायर दिनांक 20.08.2021 को खोली गई। दिनांक 20.08.2021 को प्रस्ताव सं. 01 से कमेटी नियुक्त कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई। कमेटी में वार्ड पंच मनोहर, पोलाराम व वागाराम को सदस्य बनाया। ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी ने दिनांक 25.08.2021 को मौका रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भवन निर्मित होने का अंकन नहीं किया, जो कि भूखण्ड के नियमन की आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सिर्फ दो सदस्य वागाराम व पोलाराम के ही हस्ताक्षर है तथा मनोहर के हस्ताक्षर ही नहीं है। नियमानुसार तीन सदस्यों द्वारा रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसकी पालना नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप आगे की समस्त कार्यवाही दूषित हो गई है। भूखण्ड का नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षर पट्टे पर अंकित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाने से नक्शा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के आवेदन पत्र में भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का पुराना निर्मित भवन होने का तथ्य दर्ज नहीं है तथा सिर्फ कब्जा बताया है।

ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 06.09.2021 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सं. 07 द्वारा निर्णय लिया गया था जबकि मिसल में उक्त प्रस्ताव से एक दिन पूर्व ही दिनांक 05.09.2021 को नोटिस जारी कर दिया गया, यह कैसे संभव हो सकता है, जिससे जारी किया गया नोटिस संदेहास्पद प्रतीत होता है। नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु यह नोटिस किस तारीख को, किस व्यक्ति द्वारा, किन–किन स्थानों पर, किन–किन व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया गया है, इसका कोई अंकन नोटिस पर कहीं पर भी नहीं होने से, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 में विहित न्यूनतम एक माह की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो कि आज्ञात्मक प्रावधान है। इस प्रकार नियम 148 के आज्ञात्मक प्रावधानों की स्पष्टतः अवहेलना हुई है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानुसार उक्त प्रारूप 22 में सार्वजनिक नोटिस जारी करना आज्ञात्मक है, ताकि आम जनता, विक्रय की जाने वाली आबादी भूमि बाबत सार्वजनिक हित के या व्यक्तिगत हितों के संरक्षण हेतु आक्षेप ग्राम पंचायत को पेश कर सके। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार का कथन है कि उसने उक्त भूखण्ड लिखित बेचान से प्राप्त किया है तथा उस पर वह आज दिनांक तक काबिज है। अगर ग्राम पंचायत निगरानीकार को सुनवाई का अवसर देती तो, निगरानीकार आक्षेप प्रस्तुत करता तथा आक्षेपों पर विधिवत सुनवाई करके ग्राम पंचायत विधि सम्मत निर्णय लेकर, आगे की कार्यवाही करती, परंतु पत्रावली पर आक्षेपों की प्राप्ति एवं निपटवारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः निश्चित रूप से निगरानीकार के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा निगरानीकार को आक्षेप पेश करने का अवसर ही नहीं मिला।

ग्राम पंचायत की मिसल में आदेशिकाओं की प्रति संलग्न है, जिसमें हस्तलिखित रूप से आदेशिकाओं की पूर्ति की गई है, जिसमें दिनांक का कॉलम रिक्त है। इसके अतिरिक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर अनुसार दिनांक 06.09.2021 को प्रस्ताव सं. 07 द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड हेतु सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था परंतु मिसल के संलग्न हस्तलिखित आदेशिका में प्रस्ताव सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

01 दिनांक 05.09.2021 को निर्णय लिया जाना अंकित किया गया है तथा नोटिस दिनांक 05.09.2021 को जारी किया गया है। ऐसी कार्यवाही को कतई पारदर्शी एवं विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

पत्रावली पर लक्ष्मण सिंह पुत्र कान सिंह का नोटरी से तस्दीकसुदा शपथपत्र उपलब्ध है, जो पूर्व में टाईपसुदा है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हस्तलिखित अक्षरों से की गई है, जिसमें भूखण्ड के पडौसों की भुजा नाप का कॉलम रिक्त है। शपथ पत्र में भूखण्ड पर पुराना भवन निर्मित होने का कोई उल्लेख नहीं है। आवेदक श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र कान सिंह के आधार कार्ड सं. 2799 2568 7733 की प्रति में स्पष्ट रूप से पता जोगियासनी, लूणावास खारा, जोधपुर अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ग्राम झंवर का निवासी नहीं है। नियम 157(1) में प्रारूप 23क में पट्टा 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित भवन/गृह निर्माण होने पर ही जारी करने का प्रावधान है। खाली भूखण्ड का नियमन नहीं हो सकता। अगर खाली भूखण्डों का नियमितिकरण के जरिए पट्टे करना अनुमत कर दिया जावे, तो भारी अनियमितता हो जायेगी। सरकार की मंशा सिर्फ पुराने निर्मित आवासीय मकानों का नियमन करने की ही है। अन्य मामलों में भूमि का विक्रय निलामी/आपसी बातचीत से ही संभव है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा खाली भूखण्ड का, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की घोर अवहेलना करके जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है।

B. **<u>निगरानी सं. 144/2025 (2025/201) (अमर सिंह–पट्टा धारक)</u>**–अमर सिंह पुत्र नेन सिंह द्वारा ग्राम झंवर का निवासी बताते हुए 1188 वर्गफुट भूमि को पुश्तैनी कब्जासुद होना बताकर, पट्टा जारी करने का आवेदन ग्राम पंचायत झंवर में दिनांक 10.08.2021 को पेश करने पर, मिसल सं. 53/2021–22, जो पट्टे पर अंकित दायर दिनांक 20.08.2021 को खोली गई। दिनांक 20.08.2021 को प्रस्ताव सं. 01 से कमेटी नियुक्त कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई। कमेटी में वार्डपंच मनोहर, पोलाराम व वागाराम को सदस्य बनाया। ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी ने दिनांक 25.08.2021 को मौका रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में भूखण्ड पर भवन निर्मित होने का अंकन नहीं किया, जो कि भूखण्ड के नियमन की आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सिर्फ दो सदस्य वागाराम व पोलाराम के ही हस्ताक्षर है तथा मनोहर के हस्ताक्षर ही नहीं है। नियमानुसार तीन सदस्यों द्वारा रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसकी पालना नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप आगे की समस्त कार्यवाही दूषित हो गई है। भूखण्ड का नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षर पट्टे पर अंकित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाने से नक्शा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध आवेदक के आवेदन पत्र में भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का पुराना निर्मित मकान होने का तथ्य दर्ज नहीं है तथा सिर्फ कब्जा बताया है।

ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 06.09.2021 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सं. 07 द्वारा निर्णय लिया गया था जबकि मिसल में उक्त प्रस्ताव से एक दिन पूर्व ही दिनांक 05.09.2021 को नोटिस जारी कर दिया गया, यह कैसे संभव हो सकता है, जिससे जारी किया गया नोटिस संदेहास्पद प्रतीत होता है। नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु यह नोटिस किस तारीख को, किस व्यक्ति द्वारा, किन–किन स्थानों पर, किन–किन व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया गया है, इसका कोई अंकन नोटिस पर कहीं पर भी नहीं होने से, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 में विहित न्यूनतम एक माह की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो कि आज्ञात्मक प्रावधान है। इस प्रकार नियम 148 के आज्ञात्मक प्रावधानों की स्पष्टतः अवहेलना हुई है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानुसार उक्त प्रारूप 22 में सार्वजनिक नोटिस जारी करना आज्ञात्मक है, ताकि आम जनता, विक्रय की जाने वाली आबादी भूमि बाबत सार्वजनिक हित के या व्यक्तिगत हितों के संरक्षण हेतु आक्षेप ग्राम पंचायत को पेश कर सके। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार का कथन है कि उसने उक्त भूखण्ड लिखित बेचान से प्राप्त किया है तथा उस पर वह आज दिनांक तक काबिज है। अगर ग्राम पंचायत निगरानीकार को सुनवाई का अवसर देती तो, निगरानीकार आक्षेप प्रस्तुत करता तथा आक्षेपों पर विधिवत सुनवाई करके ग्राम पंचायत विधि सम्मत निर्णय लेकर, आगे की कार्यवाही करती, परंतु पत्रावली पर आक्षेपों की प्राप्ति एवं निपटवारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः निश्चित रूप से निगरानीकार के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा निगरानीकार को आक्षेप पेश करने का अवसर ही नहीं मिला।

ग्राम पंचायत की मिसल में आदेशिकाओं की प्रति संलग्न है, जिसमें हस्तलिखित रूप से आदेशिकाओं की पूर्ति की गई है, जिसमें दिनांक का कॉलम रिक्त है। इसके अतिरिक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर अनुसार दिनांक 06.09.2021 को प्रस्ताव सं. 07 द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड हेतु सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था परंतु मिसल के संलग्न हस्तलिखित आदेशिका में प्रस्ताव सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

01 दिनांक 05.09.2021 को निर्णय लिया जाना अंकित किया गया है तथा नोटिस दिनांक 05.09.2021 को जारी किया गया है। ऐसी कार्यवाही को कतई पारदर्शी एवं विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

पत्रावली पर अमर सिंह पुत्र नेन सिंह का नोटरी से तस्दीकसुदा शपथपत्र उपलब्ध है, जो पूर्व में टाईपसुदा है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हस्तलिखित अक्षरों से की गई है, जिसमें भूखण्ड के पडौसों की भुजा नाप का कॉलम रिक्त है। शपथ पत्र में भूखण्ड पर पुराना भवन निर्मित होने का कोई उल्लेख नहीं है। आवेदक अमर सिंह पुत्र नेन सिंह के आधार कार्ड सं. 3161 0516 9354 की प्रति में स्पष्ट रूप से पता जोगियासनी, लूणावास खारा, जोधपुर अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ग्राम झंवर का निवासी नहीं है। नियम 157(1) में प्रारूप 23क में पट्टा 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित भवन/गृह निर्माण होने पर ही जारी करने का प्रावधान है। खाली भूखण्ड का नियमन नहीं हो सकता। अगर खाली भूखण्डों का नियमितिकरण के जरिए पट्टे करना अनुमत कर दिया जावे, तो भारी अनियमितता हो जायेगी। सरकार की मंशा सिर्फ पुराने निर्मित आवासीय मकानों का नियमन करने की ही है। अन्य मामलों में भूमि का विक्रय निलामी/आपसी बातचीत से ही संभव है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा खाली भूखण्ड का, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की घोर अवहेलना करके जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है।

C. **<u>निगरानी सं. 145/2025 (2025/200) (नेन सिंह–पट्टा धारक)</u>**– नेन सिंह पुत्र जोर सिंह द्वारा ग्राम झंवर का निवासी बताते हुए ..... वर्गफुट भूमि को पुश्तैनी कब्जासुद होना बताकर, पट्टा जारी करने का आवेदन ग्राम पंचायत झंवर में दिनांक 10.08.2021 को पेश करने पर, मिसल सं. 52/2021–22 जो पट्टे पर अंकित दायर दिनांक 20.08.2021 को खोली गई। दिनांक 20.08.2021 को प्रस्ताव सं. 01 से कमेटी नियुक्त कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई। कमेटी में वार्डपंच मनोहर, पोलाराम व वागाराम को सदस्य बनाया। ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी ने दिनांक 25.08.2021 को मौका रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में भूखण्ड पर भवन निर्मित होने का अंकन नहीं किया, जो कि भूखण्ड के नियमन की आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सिर्फ दो सदस्य वागाराम व पोलाराम के ही हस्ताक्षर है तथा मनोहर के हस्ताक्षर ही नहीं है। नियमानुसार तीन सदस्यों द्वारा रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसकी पालना नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप आगे की समस्त कार्यवाही दूषित हो गई है। भूखण्ड का नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षर पट्टे पर अंकित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाने से नक्शा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध आवेदक के आवेदन पत्र में भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का पुराना निर्मित मकान होने का तथ्य दर्ज नहीं है तथा सिर्फ कब्जा बताया है।

ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 06.09.2021 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सं. 07 द्वारा निर्णय लिया गया था जबकि मिसल में उक्त प्रस्ताव से एक दिन पूर्व ही दिनांक 05.09.2021 को नोटिस जारी कर दिया गया, यह कैसे संभव हो सकता है, जिससे जारी किया गया नोटिस संदेहास्पद प्रतीत होता है। नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु यह नोटिस किस तारीख को, किस व्यक्ति द्वारा, किन–किन स्थानों पर, किन–किन व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया गया है, इसका कोई अंकन नोटिस पर कहीं पर भी नहीं होने से, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 में विहित न्यूनतम एक माह की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो कि आज्ञात्मक प्रावधान है। इस प्रकार नियम 148 के आज्ञात्मक प्रावधानों की स्पष्टतः अवहेलना हुई है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानुसार उक्त प्रारूप 22 में सार्वजनिक नोटिस जारी करना आज्ञात्मक है, ताकि आम जनता, विक्रय की जाने वाली आबादी भूमि बाबत सार्वजनिक हित के या व्यक्तिगत हितों के संरक्षण हेतु आक्षेप ग्राम पंचायत को पेश कर सके। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार का कथन है कि उसने उक्त भूखण्ड लिखित बेचान से प्राप्त किया है तथा उस पर वह आज दिनांक तक काबिज है। अगर ग्राम पंचायत निगरानीकार को सुनवाई का अवसर देती तो, निगरानीकार आक्षेप प्रस्तुत करता तथा आक्षेपों पर विधिवत सुनवाई करके ग्राम पंचायत विधि सम्मत निर्णय लेकर, आगे की कार्यवाही करती, परंतु पत्रावली पर आक्षेपों की प्राप्ति एवं निपटवारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः निश्चित रूप से निगरानीकार के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा निगरानीकार को आक्षेप पेश करने का अवसर ही नहीं मिला।

ग्राम पंचायत की मिसल में आदेशिकाओं की प्रति संलग्न है, जिसमें हस्तलिखित रूप से आदेशिकाओं की पूर्ति की गई है, जिसमें दिनांक का कॉलम रिक्त है। इसके अतिरिक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर अनुसार दिनांक 06.09.2021 को प्रस्ताव सं. 07 द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड हेतु सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था परंतु मिसल के संलग्न हस्तलिखित आदेशिका में प्रस्ताव सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

01 दिनांक 05.09.2021 को निर्णय लिया जाना अंकित किया गया है तथा नोटिस दिनांक 05.09.2021 को जारी किया गया है। ऐसी कार्यवाही को कतई पारदर्शी एवं विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

पत्रावली पर नेन सिंह पुत्र जोर सिंह का नोटरी से तस्दीकसुदा शपथपत्र उपलब्ध है, जो पूर्व में टाईपसुदा है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हस्तलिखित अक्षरों से की गई है, जिसमें भूखण्ड के पडौसों की भुजा नाप का कॉलम रिक्त है। शपथ पत्र में भूखण्ड पर पुराना भवन निर्मित होने का कोई उल्लेख नहीं है। आवेदक नेन सिंह पुत्र जोर सिंह के आधार कार्ड सं. 7141 1429 1284 की प्रति में स्पष्ट रूप से पता जोगियासनी, लूणावास खारा, जोधपुर अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ग्राम झंवर का निवासी नहीं है। नियम 157(1) में प्रारूप 23क में पट्टा 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित भवन/गृह निर्माण होने पर ही जारी करने का प्रावधान है। खाली भूखण्ड का नियमन नहीं हो सकता। अगर खाली भूखण्डों का नियमितिकरण के जरिए पट्टे करना अनुमत कर दिया जावे, तो भारी अनियमितता हो जायेगी। सरकार की मंशा सिर्फ पुराने निर्मित आवासीय मकानों का नियमन करने की ही है। अन्य मामलों में भूमि का विक्रय निलामी/आपसी बातचीत से ही संभव है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा खाली भूखण्ड का, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की घोर अवहेलना करके जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है।

D. **<u>निगरानी सं. 146/2025 (2025/199) (भीम सिंह–पट्टा धारक)</u>**– भीम सिंह पुत्र कान सिंह द्वारा ग्राम झंवर का निवासी बताते हुए 1270.5 वर्गफुट भूमि को पुश्तैनी कब्जासुद होना बताकर, पट्टा जारी करने का आवेदन ग्राम पंचायत झंवर में दिनांक 10.08.2021 को पेश करने पर, मिसल सं. 54/2021–22 जो पट्टे पर अंकित दायर दिनांक 20.08.2021 को खोली गई। दिनांक 20.08.2021 को प्रस्ताव सं. 01 से कमेटी नियुक्त कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई। कमेटी में वार्डपंच मनोहर, पोलाराम व वागाराम को सदस्य बनाया। ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी ने दिनांक 25.08.2021 को मौका रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में भूखण्ड पर भवन निर्मित होने का अंकन नहीं किया, जो कि भूखण्ड के नियमन की आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सिर्फ दो सदस्य वागाराम व पोलाराम के ही हस्ताक्षर है तथा मनोहर के हस्ताक्षर ही नहीं है। नियमानुसार तीन सदस्यों द्वारा रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसकी पालना नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप आगे की समस्त कार्यवाही दूषित हो गई है। भूखण्ड का नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षर पट्टे पर अंकित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाने से नक्शा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध आवेदक के आवेदन पत्र में भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का पुराना निर्मित मकान होने का तथ्य दर्ज नहीं है तथा सिर्फ कब्जा बताया है।

ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 06.09.2021 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सं. 07 द्वारा निर्णय लिया गया था जबकि मिसल में उक्त प्रस्ताव से एक दिन पूर्व ही दिनांक 05.09.2021 को नोटिस जारी कर दिया गया, यह कैसे संभव हो सकता है, जिससे जारी किया गया नोटिस संदेहास्पद प्रतीत होता है। नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु यह नोटिस किस तारीख को, किस व्यक्ति द्वारा, किन–किन स्थानों पर, किन–किन व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया गया है, इसका कोई अंकन नोटिस पर कहीं पर भी नहीं होने से, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 में विहित न्यूनतम एक माह की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो कि आज्ञात्मक प्रावधान है। इस प्रकार नियम 148 के आज्ञात्मक प्रावधानों की स्पष्टतः अवहेलना हुई है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानुसार उक्त प्रारूप 22 में सार्वजनिक नोटिस जारी करना आज्ञात्मक है, ताकि आम जनता, विक्रय की जाने वाली आबादी भूमि बाबत सार्वजनिक हित के या व्यक्तिगत हितों के संरक्षण हेतु आक्षेप ग्राम पंचायत को पेश कर सके। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार का कथन है कि उसने उक्त भूखण्ड लिखित बेचान से प्राप्त किया है तथा उस पर वह आज दिनांक तक काबिज है। अगर ग्राम पंचायत निगरानीकार को सुनवाई का अवसर देती तो, निगरानीकार आक्षेप प्रस्तुत करता तथा आक्षेपों पर विधिवत सुनवाई करके ग्राम पंचायत विधि सम्मत निर्णय लेकर, आगे की कार्यवाही करती, परंतु पत्रावली पर आक्षेपों की प्राप्ति एवं निपटवारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः निश्चित रूप से निगरानीकार के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा निगरानीकार को आक्षेप पेश करने का अवसर ही नहीं मिला।

ग्राम पंचायत की मिसल में आदेशिकाओं की प्रति संलग्न है, जिसमें हस्तलिखित रूप से आदेशिकाओं की पूर्ति की गई है, जिसमें दिनांक का कॉलम रिक्त है। इसके अतिरिक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर अनुसार दिनांक 06.09.2021 को प्रस्ताव सं. 07 द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड हेतु सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था परंतु मिसल के संलग्न हस्तलिखित आदेशिका में प्रस्ताव सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

01 दिनांक 05.09.2021 को निर्णय लिया जाना अंकित किया गया है तथा नोटिस दिनांक 05.09.2021 को जारी किया गया है। ऐसी कार्यवाही को कतई पारदर्शी एवं विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

पत्रावली पर भीम सिंह पुत्र कान सिंह का नोटरी से तस्दीकसुदा शपथपत्र उपलब्ध है, जो पूर्व में टाईपसुदा है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हस्तलिखित अक्षरों से की गई है, जिसमें भूखण्ड के पडौसों की भुजा नाप का कॉलम रिक्त है। शपथ पत्र में भूखण्ड पर पुराना भवन निर्मित होने का कोई उल्लेख नहीं है। आवेदक भीम सिंह पुत्र कान सिंह के आधार कार्ड सं. 8688 6821 4925 की प्रति में स्पष्ट रूप से पता जोगियासनी, लूणावास खारा, जोधपुर अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ग्राम झंवर का निवासी नहीं है। नियम 157(1) में प्रारूप 23क में पट्टा 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित भवन/गृह निर्माण होने पर ही जारी करने का प्रावधान है। खाली भूखण्ड का नियमन नहीं हो सकता। अगर खाली भूखण्डों का नियमितिकरण के जरिए पट्टे करना अनुमत कर दिया जावे, तो भारी अनियमितता हो जायेगी। सरकार की मंशा सिर्फ पुराने निर्मित आवासीय मकानों का नियमन करने की ही है। अन्य मामलों में भूमि का विक्रय निलामी/आपसी बातचीत से ही संभव है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा खाली भूखण्ड का, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की घोर अवहेलना करके जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है।

12. निगरानी सं. 24/2021 (2021/47) इस न्यायालय में उक्त चारों आक्षेपित पट्टों को जारी करने की दिनांक 06.10.2021 को विचाराधीन थी, उसमें वर्तमान अप्रार्थी लक्ष्मण सिंह, नेन सिंह, भीम सिंह व ग्राम पंचायत पक्षकार थे, जिसमें भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने तथा उस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं पाये जाने के कारण निर्णय दिनांक 23.05.2022 से पट्टा सं. 50 दिनांक 21.05.1961 को निरस्त किया गया है।

वर्तमान निगरानियां उक्त निरस्त पट्टे की भूमि पर ही, उक्त निगरानी के विचाराधीन रहने के दौरान ही पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियम 157(1) प्रारूप 23–क में चारो निगरानीधीन पट्टे ग्राम पंचायत झंवर द्वारा दिनांक 06.10.2021 को जारी किये गये है, जिसमें 50 वर्षों पुराना कब्जा साबित नहीं है तथा पत्रावलियों पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं है। जब तक पूर्व का पट्टा सं. 50 दिनांक 21.05.1961 अस्तित्व में था, तो पट्टे पर पट्टे जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसकी शिकायते भी की गई, जिसे नजरअंदाज किया गया है। अप्रार्थीगणों ने स्थानीय निवासी होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है।

13. निगरानीधीन चारों पट्टों से संबंधित मिसल में गवाह बयान फार्म चारों पट्टाधारकों ने ही एक दूसरे के पट्टा मिसलों में पेश किये है, जो एक ही परिवार के सदस्य है, जिन्हे स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह नहीं माना जा सकता। ऐसी कार्यवाही को कतई पारदर्शी एवं विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) की शर्तें पूर्ण किये बिना ही अपने स्तर से ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किये है, जो गलत है तथा विधि प्रावधानों के विपरीत जारी होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

14. उक्त चारों निगरानियों में इस न्यायालय में भी पट्टे से संबंधित भूखण्ड पर पुराना मकान/गृह निर्मित होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है, जो 31.12.1996 से पूर्व 50 वर्षों की अवधि का हो तथा न ही पंचायत की मूल पत्रावलियों में ऐसा कोई सबूत उपलब्ध है। अतः खाली भूखण्डों का नियम 157 के प्रावधानों के तहत पट्टा जारी करना स्पष्टतः अवैद्य है।

15. उपरोक्त तथ्यात्मक/अभिलेखीय विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषणानुसार, आक्षेपित चारों पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित नियमों की पालना नहीं होने से विधि प्रावधानों के विपरीत जारी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा चारों निगरानियां स्वीकार योग्य है।

आदेश

16. परिणामतः उक्त विवरण की चारों निगरानियां स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैः—

i) **निगरानी सं. 143/2025 (2025/202)**:— मिसल सं. 55 दायर दिनांक 20.08.2021, पट्टा बुक सं. 84 में से जारी पट्टा सं. 24 दिनांक 06.10.2021, बनाप 135.66 वर्गगज बहक लक्ष्मण सिंह पुत्र कान सिंह को एतद्द्वारा अवैध घोषित किया जाकर निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त के संबंध में पारित समस्त संकल्पों को इस पट्टे की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

ii) **निगरानी सं. 144/2025 (2025/201)**:— मिसल सं. 53 दायर दिनांक 20.08.2021, पट्टा बुक सं. 84 में से जारी पट्टा सं. 22 दिनांक 06.10.2021, बनाप 132 वर्गगज बहक अमर सिंह पुत्र नेन सिंह को एतद्द्वारा अवैध घोषित किया जाकर निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त के संबंध में पारित समस्त संकल्पों को इस पट्टे की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

iii) **निगरानी सं. 145/2025 (2025/200)**:– मिसल सं. 52 दायर दिनांक 20.08.2021, पट्टा बुक सं. 84 में से जारी पट्टा सं. 21 दिनांक 06.10.2021, बनाप 168.88 वर्गगज बहक नेन सिंह पुत्र जोर सिंह को एतद्द्वारा अवैध घोषित किया जाकर निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त के संबंध में पारित समस्त संकल्पों को इस पट्टे की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

iv) **निगरानी सं. 146/2025 (2025/199)**:–मिसल सं. 54 दायर दिनांक 20.08.2021, पट्टा बुक सं. 84 में से जारी पट्टा सं. 23 दिनांक 06.10.2021, बनाप 141.16666 वर्गगज बहक भीम सिंह पुत्र कान सिंह को एतद्द्वारा अवैध घोषित किया जाकर निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त के संबंध में पारित समस्त संकल्पों को इस पट्टे की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

17. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धवा, जिला जोधपुर को उनके कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय प्रति पर इस निर्णयानुसार आक्षेपित पट्टों पर निरस्तीकरण का नोट लगाने हेतु भेजी जावे।
18. निर्णय की प्रति के साथ, मूल अभिलेख ग्राम पंचायत झंवर को लौटाया जावे। ग्राम पंचायत झंवर पट्टा संख्या 21, 22, 23, 24 दिनांक 06.10.2021 पर निरस्तीकरण का नोट अंकित करें तथा ग्राम पंचायत के सम्पति रिकार्ड में भी उक्त चारों पट्टे निरस्त होने का नोट अंकित किया जावे।
19. निर्णय की प्रतियां उक्त चारों निगरानियों की पत्रावली में पृथक से संलग्न की जावे।
20. निगरानीकार को इन पट्टों के निरस्तीकरण से कोई अधिकार, हक सृजित नहीं होंगे। उसे अपने साक्ष्य/सबूत से अपना क्लेम ग्राम पंचायत, झंवर के समक्ष साबित करना होगा।
21. प्रकरणों में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
22. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर